न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 263/2019 (जीसीएमएस 2019/00183)

1. गणेश पुत्र बद्रीनारायण,
2. हनुमान पुत्र बद्रीनारायण,
3. प्रभूनारायण पुत्र बद्रीनारायण,
4. तुलसा देवी पत्नी बद्रीनारायण,
5. भौरी लाल पुत्र गोविन्दनारायण,
6. रामप्रसाद पुत्र श्रीनारायण,
7. रामोतार पुत्र श्रीनारायण,
8. राजेश उर्फ राजू पुत्र श्रीनारायण समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. श्रीमति भौरी देवी पुत्री सुरजनारायण शर्मा पत्नी लालाराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम कचौलिया तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. रामेश्वर प्रसाद पुत्र गोविन्दनारायण
4. शंकर लाल पुत्र गोविन्दनारायण समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 से असंतुष्ठ होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार बस्सी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कानोता तहसील बस्सी की आराजी खसरा नम्बर 389 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 400 रकबा 6 बीघा खसरा नम्बर 498 रकबा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 499 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि का मूल खातेदार लक्ष्मीनारायण के वारिसान 4 पुत्र क्रमशः सुरजनारायण, बद्रीनारायण, गोविन्दनारायण व श्रीनारायण के दर्ज रिकार्ड रहा, सुरजनारायण के फौत हो जाने पर सुरजनारायण के हिस्सा 1/4 भूमि का नामान्तरकरण संख्या 561 वसीयत के आधार पर बद्रीनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण भौरी लाल

P.T.O.

रामेश्वर शंकर पि. गोविन्दनारायण व रामप्रसाद, रामावतार राजेश पि. श्रीनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण हिस्सा 1/4 के नाम पटवारी हल्का द्वारा दर्ज करने पर तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 21.12.1991 को स्वीकृत किया गया जिससे असंतुष्ट होकर भौरीदेवी ने न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर प्रथम के यहां अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 28.02.2017 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी के नामान्तरकरण संख्या 561 पर पारित आदेश दिनांक 21.12.1991 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बस्सी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि उभयपक्षकारान् को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर बाद जांच पुनः निर्णय पारित करें जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दिनांक 05.11.2018 को उक्त दोनों निर्णयों की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किया गया है जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नहीं किया कि अपीलान्ट्स के हक में रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज हुआ हैं जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.01.1991 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.12.1991 के विरूद्ध उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयत के आधार पर एक ही पत्रावली में दो आदेश पारित कर भयंकर कानूनी भूल की हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि विधान के विपरित होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य हैं। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगैर अवलोकन नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसके साथ किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये है और ना ही मौखिक साक्ष्य आदि ही प्रस्तुत किया गये हैं फिर भी उक्त कानूनी तथ्यों को भी नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अपीलान्ट के द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया उक्त तथ्य विधि विरूद्ध होने के कारण भी अपीलाधीन आदेश प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त वसीयत के संबंध में यदि कोई आपत्ति होती तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वसीयत को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट आदि ही दर्ज करवाई गई, केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से एक झूठा कलोप कल्पित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसके संबंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और उक्त समस्त कानूनी तथ्यों पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं कर मनमाना निर्णय पारित किया है जो प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 को निरस्त किया जाकर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 21.12.1991 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के स्व. पिताजी सूरजनारायण जी व स्व. बद्रीनारायण जी स्व. गोविन्दनारायण जी स्व. श्रीनारायण जी सगे भाई थे, पूर्वज स्व. श्री लक्ष्मीनारायण जी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 388 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 499 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं अन्य अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4 अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के स्व. पिता सूरजनारायण जी का हिस्सा 1/4 होता है, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपने स्व. पिता श्री सूरजनाराण की मात्र इकलौती पुत्री संतान होने के कारण उसके हक व हिस्से की भूमि सम्पूर्ण में से 1/4 हक हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड होना चाहिये था लेकिन अन्य भाईयों ने एवं बुजुर्गो ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक व हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली, विवादग्रस्त आराजीयात में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं अन्य पक्षकारान पुत्रान होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वारिस एवं उत्तराधिकारी है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दादा मृतक स्व. श्री लक्ष्मीनारायण जी की सम्पत्ति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/4 हक हिस्सा होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने विवादित नामान्तरकरण संख्या 561 उक्त खसरा नम्बर स्थित कानोता को निरस्त करवाने बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, दौराने सुनवाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1

P.T.O.

ने तहसीलदार बस्सी कि ओर से सरकार पैराकार उपस्थित आये एवं अधिवक्ता 2 लगायत 6 व 9 लगायत 11 की ओर से श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से श्री हनुमान सहाय शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये, सभी रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई करने बाबत अपनी–अपनी सहमति प्रदान की थी जिसका उल्लेख न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया उसके पेज संख्या 3 पर सहमति उल्लेख दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भोली–भाली अनपढ, वयोवृद्ध महिला होने का अपीलान्ट ने नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को हैरान व परेशान कर रहे है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपने हक व हिस्से की सम्पत्ति से वंचित कर रखा है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व मण्डल की एकलपीठ के सदस्य श्री आर. के. जायसवाल द्वारा निगरानी एलआर/7993/2016 जिला उदयपुर उनवानी संतोष बनाम नारायण लाल वगैरह में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी वसीयत पंजीयन का होना वसीयत दस्तावेज के अस्तित्व का साबित कर सकता है उसकी सद्भाविकता को नही जब तक उक्त विवादग्रस्त वसीयत की सद्भावितकता को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधान अनुसार साबित नही कर दिया जाता है तब तक उससे वसीयत के लाभार्थी को प्राकृतिक वारिसान के विरूद्ध कोई हक नही मिल सकता और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नही है इसके लिए वसीयत के लाभार्थियों को समक्ष न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके अधिकारों की घोषणा करानी होगी, 2005 आरआरडी पेज 88 में यह मत व्यक्त किया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसमें किसी भी व्यक्ति के राइट व टाइटल का विनिश्चय नही किया जा सकता, वसीयत असली है या नही यह जॉच का विषय है जिसमें नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान नही देखा जा सकता है, यह सिद्धान्त 2003 आरआरटी(1)पेज 650 में भी यह मत प्रतिपादित किया है, माननीय रजास्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2000 डीएनजे (राज) 235 उनवानी ज्ञानप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम 1872 सूबत का भार एवं साबित करने का भार अंतर वाद से प्रतिवादी को साबित करने का भार का हस्तान्तरण करना गलत था, स्वीकृत तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नही है इस सम्पूर्ण मामले में अपीलान्ट 1 लगायत 8 गणेश वगैरह का कथन रहा है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती भौरीदेवी मृतक सूरजनारायण जी की जाईन्दा आस औलाद पुत्री नही है, अपीलान्ट का अधिनस्थ न्यायालय एवं माननीय न्यायालय के समक्ष यह तथाकथित कथन एवं उज्र ऐतराज रहा है कि मृतक सूरजनारायण जी के कोई जाईन्दा आस औलाद संतान नही थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती भौरीदेवी उनकी जाईन्दा पुत्री नही होने के कारण वह इस विवादग्रस्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सम्पत्ति में से अपना कोई हक अधिकार प्राप्त नही कर सकती है जबकि इस सम्पूर्ण मामले में अधीनस्थ न्यायालयों एवं माननीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रामेश्वर प्रसाद शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 शंकर लाल पुत्रान स्व. श्री गोविदनारायण शर्मा के द्वारा यह तथ्य साबित एवं स्वीकार किये जा चुके है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती भौरीदेवी पुत्री स्व. श्री सूरजनारायण शर्मा पत्नी श्री लालाराम शर्मा जाति हरियाणा ब्राहाम्ण एकमात्र जाइन्दा पुत्री संतान है और उपरोक्त विवादग्रस्त आराजीयात में से 1/4 हक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती भौरीदेवी का अपना हक हिस्सा मिलना चाहिये, अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.10.2019 पारित किया है वह सही और सत्य पारित किया है इसलिये अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनावटी मिथ्य तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण मय हाजा–खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने भी अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती भौरीदेवी अपने स्व. पिता श्री सूरजनारायण जी के मात्र इकलौती पुत्री संतान होने के कारण उसके हक हिस्से की भूमि सम्पूर्ण में से 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोडन्ट संख्या 2 श्रीमती भौरीदेवी के नाम दर्ज रिकार्ड होना चाहिये था जो सहवन से मिन भाईयों व अन्य भाईयों के नाम से दर्ज हो गया था अब वर्तमान में उक्त विवादग्रस्त आराजीयात सम्पूर्ण में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती भौरीदेवी के नाम 1/4 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड कर दिया जावें तो मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को काई आपत्ति एवं ऐतराज नही है तथा मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने इस बाबत सहमति एवं राजीनामा एक अन्य उनवानी वाद भौरीदेवी बनाम गणेश वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष भी इस बाबत हमारी ओर से सहमति दे चुके है, अपीलान्ट 1 लगायत 8 की नियत में फितुर आ जाने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती भौरीदेवी के हक हिस्से की सम्पत्ति को नाजायज रूप से हड़पने की गरज से यह तथाकथित फर्जी नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 21.12.1991 को अपीलान्टस ने उस समय अपने एवं हमारे हक में तस्दीक करवा लिया गया था, मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने उस समय भी ऐसा गलत कृत्य करने के लिऐ मना किया था लेकिन अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वजों के द्वारा एवं उस समय उपस्थित मौजूद अपीलान्ट्स के द्वारा यह गलत कृत्य किया गया था इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.10.2019 सही निर्णय पारित किया गया है, इसलिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील बेबुनियादी असत्य एवं बनावटी तथ्यों पर आधारित होने के कारण मय हर्जा–खर्चा खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करने की कृपा करें।

P.T.O.

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 561 वसीयत के आधार पर अपीलान्ट्स संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज बद्रीनारायण, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम स्वीकार हुआ है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उक्त वसीयतकर्ता की पुत्री होकर विरासत के आधार पर अपना हक अधिकार चाह रही है, वसीयत की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार सूरजनारायण द्वारा एक वसीयत दिनांक 11.01.1991 को की गई है जो कि उप पंजीयक बस्सी जिला जयपुर के यहॉ से रजिस्टर्ड वसीयत है जिसकी छाया प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के साक्षीगण से किसी प्रकार के बयानादि नही लिये गये तथा उक्त आराजी स्वअर्जित थी या पैतृक तथा वसीयतकर्ता को उक्त आराजी की वसीयत करने के अधिकार थे भी या नही इत्यादि तथ्यों पर भी अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर विचार करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जॉच इत्यादि नही की गई जिससे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

10/8/2021

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/8/2021

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।